इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या: 13 अंक संख्या: 3 अक्तूबर, 2020 पृष्ठों की संख्या 19

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबंधित नीतियाँ ---------- 4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ---------- 6
विनियामकों के कथन ----------8
उत्पाद एवं गठजोड़ ----------9
विदेशी मुद्रा ----------9
शब्दावली---------- 10
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------- 10
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------10
संस्थान समाचार ----------11
नयी पहलकदमी ----------16
बाजार की खबरें ----------17

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

बाँड़ों की मांग बढ़ाने, प्रतिफलों को सीमित रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक उपायों के साथ आगे आया

भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी बाँड़ों की मांग बढ़ाने, प्रतिफलों को सीमित रखने तथा प्रणाली में चलनिधि बढ़ाने के लिए विविध उपाय लागू किए हैं। परिपक्वता तक धारित (HTM) श्रेणी को अनुरक्षित सांविधिक अनुपात (SLR) के न्यूनतम 18% पर रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपक्वता तक धारित इस निवेश को जमा आधार के 19.5% की एक समग्र सीमा तक बढ़ने देता है, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 तक खरीदे गए बाँड़ों के लिए 22% कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, विशेष खुले बाजार के परिचालनों (OMOs) का एक और दौर संचालित किया गया जिसके अधीन उसने दो शृंखलाओं (tranches) में 20,000 करोड़ रुपए मूल्य के बाँड़ों की साथ-साथ खरीद एवं बिक्री की। सितंबर में "अग्रिम कर बहिर्ववाहों के कारण बाजार पर दबावो का शमन करने हेतु" उसने प्रचलित पुनर्खरीद (repo) दर पर कुल 1 ट्रिलियन रुपए का पुनर्खरीद परिचालन भी किया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को उनकी निधि लागत को कम करने हेतु दीर्घावधिक पुनर्खरीद (repo) परिचालनों के अधीन ली गई निधियों को प्रतिवर्तित (reverse) करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, उसने वायदा बाजार में हस्तक्षेप के अपने अधिकार

को यथावत रखते हुये रुपए को 6 माह के उच्च स्तर तक मूल्यवर्धित होने दिया क्योकि सैद्धान्तिक रूप से यह आयात को सस्ता बनाता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखता है तथा इसे नीतिगत दरों को प्रभावित किए बिना ब्याज दरों, जो एक निभावपरक मोड में रहती हैं, को बढ़ाने का एक अप्रत्यक्ष मार्ग माना जाता है।

कोविड-19 के कारण दबावग्रस्त 26 क्षेत्रों के लिए समाधान का ढांचा

वैश्विक महामारी के कारण दबावग्रस्त बैंक ऋणों के लिए एक समाधान ढांचा सृजित करने हेतु गठित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने आटो, स्थावर संपदा और विमानन सहित कोविड-19 प्रभावित 26 क्षेत्रों के लिए मापदण्डों का निर्धारण किया है। कृषि, खाद्य, फार्म एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र प्राय अप्रभावित रहे।

उक्त समति ने बैंकों को स्वयं उनके अतिरिक्त मानदंड भी तैयार करने की अनुमति देते हुये इन 26 क्षेत्रों को पुनरसंरचित करने हेतु प्रयुक्त होने वाले कुछेक अनिवार्य वित्तीय अनुपातों की पहचान की है। इनमें कुल बकाया देयताओं/समायोजित मूर्त निवल मालियत, कुल ऋण/ ब्याज, मूल्यह्रास, कर और परिशोधन पूर्व अर्जन (TD/EBITDA), चालू अनुपात, ऋण शोधन व्याप्ति अनुपात तथा औसत ऋण शोधन व्याप्ति अनुपात का समावेश है।

एकाधिक उधारदात्री संस्थाओं से संबन्धित मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक ने समाधान प्रक्रिया लागू किए जाने पर अंतर- लेनदार करार (ICA) का हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य कर दिया है। बैंकों से 31 मार्च, 2022 के दिन और उसके बाद निरंतर आधार पर समाधान योजना के अनुसार सहमत कुल बाहरी देयता/समायोजित मूर्त निवल मालियत /(TOL/adjusted TNE) अनुपात का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। अन्य सभी मुख्य अनुपातों को 31 मार्च, 2022 तक तथा उसके बाद सतत आधार पर अनुरक्षित किया जाना होगा।

ऐसे खंडों जिनमें क्षेत्र-विशिष्ट प्रारम्भिक सीमाएं (thresholds) निर्धारित नहीं की गई हैं ऋणदात्री संस्थाएं कुल बाहरी देयताओं/समायोजित मूर्त निवल मालियत और कुल ऋण

/ब्याज, कर, मूल्यह्रास एवं परिशोधन पूर्व अर्जन के संबंध में स्वयं अपने निर्धारण कर सकती हैं।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

50 करोड़ रुपए तक के स्टार्टअप ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार का दर्जा मिलेगा

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टार्ट-अपों को दिये गए 50 करोड़ रुपए तक के ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त उधार का पात्र बनाने के लिए अपने मानदंडों को संशोधित कर दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य रक्षा के लिए दिये गए ऐसे ऋणों की समग्र सीमा को भी दोगुनी कर दिया गया है।

अब बैंकों को उनकी ऋण-बही का 10% (पूर्ववर्ती 8% की बजाय) लघु एवं सीमांत किसानों को दिये जाने वाले अग्रिमों के रूप में उद्दिष्ट करना होगा। कृषकों के समूह सौर ऊर्जा आधारित अथवा जीव-ईंधन (biomass) आधारित विद्युत जेनरेटरों, पवन-चक्कियों (wind mills) सूक्ष्म जल संयन्त्रों जैसे उद्देश्यों के लिए तथा गैर-पारंपरिक ऊर्जा-आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं यथा - स्ट्रीटलाइटिंग प्रणालियों और सुदूर ग्राम्य विद्युतीकरण आदि के लिए 30 करोड़ रुपए तक के ऋण ले सकते हैं। अलग-अलग परिवारों के लिए ऋण-सीमा प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपए होगी।

संशोधित दिशानिर्देशों का ध्येय उन्हें उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जोड़ना तथा कम ऋण पाने वाले क्षेत्रों में ऋण की पहुँच बढ़ाने, लघु एवं सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों को उधार बढ़ोतरी करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्वास्थ्य से संबन्धित मूलभूत सुविधा में वृद्धि करते हुये समावेशी विकास पर अपेक्षाकृत तीव्र संकेन्द्रण लाना है।

अब कमजोर वर्गों को अग्रिम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) और उनके साथ ही लघु वित्त बैंकों (SFBs) के मामले में ऋण के 12% होंगे। 2020-21 से प्रारम्भ होने वाले आगामी तीन वर्षों में कृषि ऋण में 10% लघु एवं सीमांत किसानों को अनिवार्य रूप से दिये जाने होंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने "आयुष्मान भारत" योजना सहित स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा के लिए ऋण सीमा को भी दोगुनी कर दिया है। अब बैंक विद्यालयों की स्थापना, पेय जल सुविधाओं तथा घरेलू प्रसाधनों के निर्माण/पुन: सुसज्जीकरण, परिवार के स्तर पर जल-वृद्धि आदि सहित स्वच्छता सुविधाओं के लिए प्रति उधारकर्ता 5 करोड़ रुपए तक के ऋण दे सकते हैं तथा टियर III से लेकर टियर VI वाले केन्द्रों में "आयुष्मान भारत" योजना सहित स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं के निर्माण हेतु प्रति उधारकर्ता 10 करोड़ रुपए तक के ऋण दे सकते है।

अनर्जक आस्ति के निर्धारण से संबन्धित स्वचालन प्रक्रिया का पालन न करने वाले बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से अनर्जक आस्तियों के प्रावधानीकरण की स्वचालन प्रक्रिया के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन करने तथा 30 जून, 2021 तक उसके पास विवरणियाँ प्रस्तुत करने हेतु कहा है।

अब भारतीय रिजर्व बैंक ने यह अनिवार्य कर दिया है कि अस्थायी ओवरड्राफ्टों (उनके आकार, क्षेत्र अथवा सीमाओं के प्रकार चाहे जी भी क्यों न हों) सहित सभी खाते (उधार) और उनके साथ ही बैंकों के निवेश नयी समय सीमा के भीतर स्वचालित प्रणाली मेँ शामिल किए जाने चाहिए। विनियामक विनिर्देशनों का पालन करते हुये प्रणाली में आस्ति वर्गीकरण के नियमों का भी समावेश किया जाना चाहिए। प्रावधानों की गणना करने की प्रक्रिया भी आस्ति की विविध श्रेणियों, प्रतिभूति के मूल्य के अनुसार प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए। क्षत आस्तियों (अनर्जक आस्तियों/ अनर्जक आय) का आय निर्धारण/अनिर्धारण भी प्रणाली-चालित होना चाहिए। आय खाते से प्रतिवर्तित की जाने वाली रकम किसी अयांत्रिक हस्तक्षेप के बिना प्रणाली से ही प्राप्त की जानी होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार से अतिरिक्त उधार , ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने का समय बढ़ाया

वैश्विक महामारी से निर्मित वित्तीय समस्याओं से निपटने में राज्य सरकारों की सहायता करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को अप्रैल, 2020 में प्रदान की गई अतिरिक्त सुविधा को बाजार से उधार के जरिये और ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने में सहायता करने के लिए छः: माह तक बढ़ा दिया है। तदनुसार, 30 सितंबर, 2020 तक मिलने वाली उक्त सुविधा 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी गई है।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने मुख्य अनुपालन अधिकारियों की नियुक्ति; अनुरूप एवं उपयुक्त मानदंड के जरिये चयन हेतु मानदंड जारी किए

बैंकों की अनुपालन संस्कृति में एकरूपता लाने के एक अभियान में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुख्य अनुपालन अधिकारियों (CCOs) की नियुक्ति के लिए मानदंड जारी किए हैं। मुख्य अनुपालन अधिकारी को एक वरिष्ठ स्तर वाला, अधिमानत: महा प्रबन्धक और उससे ऊपर का कार्यपालक होना चाहिए तथा उसका कार्यकाल न्यूनतम तीन वर्ष का होगा। मुख्य अनुपालन अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) और/अथवा बोर्ड की समिति को रिपोर्ट करेगा। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित वरिष्ठ प्रबंधन की अनुपस्थिति में बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (ACB) मुख्य अनुपालन अधिकारी से प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक के लिए अलग-अलग (one to one) आधार पर मिलेगी। मुख्य अनुपालन अधिकारी का किसी कारोबारी ऊर्ध्वाधरताओं (verticles) के साथ न तो कोई रिपोर्टिंग संबंध होगा न ही उसे कोई कारोबारी लक्ष्य दिया जाएगा। मुख्य अनुपालन अधिकारी के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन का पुनरीक्षण बोर्ड/ लेखा-परीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा। मुख्य अनुपालन अधिकारी का चयन एक समुचित अनुरूप एवं उपयुक्त मूल्यांकन मानदंड वाली प्रक्रिया के माध्यम से होगा। मुख्य अनुपालन अधिकारी को किसी भी स्टाफ सदस्य के साथ सम्प्रेषण करने का प्राधिकार होगा। वह अनुपालन के मुद्दे से संबन्धित अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने हेतु आवश्यक सभी रिकार्डों अथवा फाइलों को देख सकता है। अनुपालन संबंधी कार्य भी आंतरिक लेखा-परीक्षा की परिधि में आएगा।

शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश: अधिक सुदृढ़ साइबर सुरक्षा की मूलभूत सुविधा अपनाएं

वर्ष 2020-23 के लिए अपने प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज़ में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के आकार और उनकी जटिलताओं पर आधारित साइबर सुरक्षा नियम प्रस्तावित किए हैं, ताकि उनमें से सर्वाधिक बड़े बैंकों को उन अन्य बैंकों के समरूप लाया जा सके जो आनलाइन खतरों के विरुद्ध संरक्षण के पूरे स्वरग्राम का संचालन करते हैं। उच्चतर डिजिटल गहनता वाले शहरी सहकारी बैंकों को अब मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISA) की नियुक्ति करनी होगी तथा सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति, सूचना प्रौद्योगिकी संचालन समिति आदि जैसी विविध समितियों का गठन करना होगा। उनमें बोर्ड द्वारा अनुमोदित सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन ढांचे की व्यवस्था करनी होगी। शहरी सहकारी बैंकों के लिए 2023 तक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का विजन पाँच स्तंभों पर आधारित है - बचाव (guard) अर्थात अभिशासन की गलती, उपयोगी (utile) प्रौद्योगिकी निवेश, उपयुक्त विनियमन एवं पर्यवेक्षण, सुदृढ़ सहयोग और आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा कौशल समुच्चय विकसित करना।

1 जनवरी से चेक भुगतानों के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली : भारतीय रिजर्व बैंक

बैंकिंग धोखाधड़ियाँ रोकने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2021 से भारतीय रिजर्व बैंक चेकों के लिए एक ऐसी "सकारात्मक भुगतान प्रणाली" लागू करेगा जिसमें 50,000 रुपए से अधिक के भुगतानों हेतु मुख्य विवरणों की पुन: पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है। जबकि किसी खाताधारक के लिए इस सुविधा को प्राप्त करना विवेकाधीन हो सकता है, तथापि बैंक 5 लाख रुपए और उससे अधिक के चेकों के मामलों में इसे अनिवार्य करने पर विचार कर सकते हैं।

"सकारात्मक भुगतान प्रणाली" में चेक जारीकर्ता के लिए अदाकर्ता बैंक को उस चेक के /की तिथि, लाभार्थी का नाम, आदाता, रकम जैसे कुछेक न्यूनतम विवरण इलेक्ट्रानिक विधि से (एसएमएस, मोबाइल एप, इटरनेट बैंकिंग अथवा एटीएम के जरिये) प्रस्तुत करने की आवश्यकत होगी। चेक के भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने से पहले इन

विवरणों की जांच की जाएगी। चेक ट्रंकेशन प्रणाली (CTS) द्वारा आदेशिती बैंक तथा प्रस्तुतकर्ता बैंक को किसी विसंगति का संकेत किए जाने पर उसके निवारण के उपाय आरंभ किए जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) चेक ट्रंकेशन प्रणाली में सकारात्मक भुगतान की उक्त सुविधा का विकास करेगा तथा उसे सहभागी बैंकों को उपलब्ध कराएगा।

विनियामकों के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था की जरूरतें पूरी करने के लिए तैयार : गवर्नर शक्तिकान्त दास

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा है कि आर्थिक समुत्थान धीमा हो सकता है, किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक वृद्धि को बढ़ाने के लिए जो भी उपाय आवश्यक हैं उनके लिए पूरी तरह तैयार है। एक समारोह में बोलते हुये गवर्नर ने यह कहा कि समुत्थान के क्रमिक होने की संभावना है क्योंकि अर्थव्यवस्था को पुन: खोलने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को बढ़ते संक्रमणों का सामना करना पड रहा है।

यद्यपि कोविड-19 के प्रति तात्कालिक अनुक्रिया आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता तथा त्वरित समुत्थान को समर्थन देना रही है, संकट के बाद मध्य अवधि के लिए नीतियाँ भी समान रूप से महत्वपूर्ण होंगी। उन्होंने मानवीय पूंजी के प्राथमिकीकरण सहित संकेन्द्रण के पाँच क्षेत्र सुझाए- उत्पादकता बढ़ाना तथा वैश्विक आपूर्ति शृंखला में प्रवेश हेतु प्रयास करना।

गवर्नर ने इस बात पर बल दिया कि बैंक भारत जैसे किसी उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास में तेजी लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे मुख्य ऋण प्रदाता होते हैं।

उन्होंने यह स्वीकार किया कि भारतीय रिजर्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वही छूट नहीं दे सकता जो वह बैंकों को देता है क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अब तक हल्के विनियमन की सुविधा प्राप्त थी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए स्वर्ण

ऋणों के मामले में मूल्य की तुलना में ऋण अनुपात 75% है, जबकि बैंकों के मामले में यह 90% तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, स्वर्ण ऋण कंपनियों को शाखा खोलने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, जबकि बैंकों पर इसप्रकार के प्रतिबंध नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ण ऋण का व्यवसाय बैंकों के व्यवसाय का महज एक छोटा सा हिस्सा होता है, जबकि स्वर्ण ऋण कंपनियाँ उस पर पूर्णत: आश्रित होती हैं। सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव होने पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ उसका निपटान/ सफाया (wiped out) करवा सकती हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक अवांछनीय परिदृश्य होता है।

श्री दास ने कहा कि सरकार का उधार कार्यक्रम 12 ट्रिलियन के उसके विशाल आकार के बावजूद लगभग 6% के एक दशक पुराने स्तर पर संचालित किया जाता था जिससे निजी निगमों को लाभ होता था तथा सभी फ़र्मों के लिए कीमत-लागत अंतरों (spreads) में कमी आ जाती थी। गवर्नर ने यह मत व्यक्त किया कि घरेलू नीतियों के लिए यह आवश्यक है कि वे स्थानीय और वैश्विक नियमों के सही मिश्रण पर ध्यान केन्द्रित रखें। निवेश, प्रतिस्पर्धा, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण का वैश्विक मूल्य शृंखला व्यापारों पर अधिक सकारात्मक प्रभाव होता है तथा उनका अध्यवसायी रूप से परिष्कार किया जाना एवं भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत किया जाना आवश्यक है। कोविड-19 ने हमारे जीवन को मान्यता से अधिक बदल दिया है, किन्तु हमें इन मूलभूत परिवर्तनों को खतरे की बजाय अवसरों के रूप में देखना चाहिए।

उत्पाद एवं गठजोड़

गठजोड़ का नाम	उद्देश्य
बायर्स बीएलएफ के साथ ऐक्सिस बैंक (बेटर लाइफ फ़ार्मिंग)	छोटी जोत वाले किसानों तथा ग्रामीण कृषक समुदायों को वर्धित एवं सर्वांगीण वित्तीय समाधान प्रदान करना।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	25 सितंबर, 2020 के दिन बिलियन रुपए	25 सितंबर, 2020 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	3989568	542021
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	3679789	499941
(ख) सोना	264971	35999
(ग) विशेष आहरण अधिकार	10836	1,472
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	33972	4608

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

अक्तूबर, 2020 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें
विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.23400	0.22900	0.25600	0.27000	0.34000
जीबीपी	0.05800	0.071	0.1038	0.1392	0.1785
यूरो	-0.47610	-0.481	-0.472	-0.452	-0.429
जापानी येन	-0.03750	-0.043	-0.046	-0.048	-0.041
कनाडाई डालर	0.73000	0.552	0.609	0.686	0.757
आस्ट्रेलियाई डालर	0.09650	0.126	0.150	0.233	0.306
स्विस फ्रैंक	-0.70500	-0.714	-0.693	-0.653	-0.603
डैनिश क्रोन	-0.13510	-0.1800	-0.1964	-0.1889	-0.1709
न्यूजीलैंड डालर	0.14500	0.075	0.75	0.100	0.150
स्वीडिश क्रोन	-0.04700	-0.025	0.003	0.015	0.064
सिंगापुर डालर	0.20500	0.255	0.317	0.400	0.470
हांगकांग डालर	0.56500	0.550	0.560	0.595	0.630
म्यामार	1.94000	1.960	2.030	2.130	2.220

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

दीर्घावधिक पुनर्खरीद (repo) परिचालन (LTROs)

दीर्घावधिक पुनर्खरीद (repo) परिचालन (LTROs)) एक-दिवसीय पुनर्खरीद दरों पर दीर्घावधिक परिपक्वता अवधियों के साथ नीलामी के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि निषेचित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किया जाने वाला एक साधन है। इसके परिणामस्वरूप अल्पावधिक उधार दरों में गिरावट आती है।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

प्रावधानीकरण व्याप्ति अनुपात (PCR)

प्रावधानीकरण व्याप्ति अनुपात (provisioning coverage ratio) आवश्यक रूप से सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में प्रावधानीकरण का अनुपात होता है तथा वह निधियों की उस मात्रा का संकेत करता है जो किसी बैंक ने ऋणगत हानियों से बचने के लिए अलग से रख छोड़ी है। प्रावधानीकारण व्याप्ति अनुपात जितना ही अधिक होता है, ऋणों का अनावरित (unexposed) भाग उतना ही कम होता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अक्तूबर, 2020 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थान
वित्तीय सेवाओं में जोखिम पर प्रमाणपत्र	8 से 10 अक्तूबर, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
धन-शोधन निवारण/ अपने ग्राहक को जानिए पर कार्यक्रम	17 से 18 अक्तूबर, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक	20 से 22 अक्तूबर, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्तीयन	22 से 28 अक्तूबर, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री बिश्व केतन दास ने भारतीय स्टेट बैंक में विभिन्न क्षमताओं में तथा विभिन्न ऊर्ध्वाधरताओं में तीन दशकों से अधिक सेवा करने के उपरांत 1 अक्तूबर, 2020 से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स में सेवारम्भ कर दिया है।

परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ

संस्थान ने परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ (Remote Proctored**) आरंभ कर दी हैं। परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ अभ्यर्थियों को घर बैठे परीक्षाओं में शामिल होने और उसके साथ ही उनके ज्ञान के आधार को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करती हैं। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :**

- **8 प्रमाणपत्र परीक्षाओं के लिए परोक्ष रूप से निरीक्षण अगस्त, 2020 में किया गया और 13 प्रमाणपत्र परीक्षाएँ सितंबर, 2020 में आयोजित होंगी।**
- **परीक्षा दूसरे और चौथे शनिवारों तथा सभी रविवारों को संचालित की जाएगी।**
- **परीक्षा शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा।**
- **परोक्ष रूप से निरीक्षण स्वत: परोक्ष निरीक्षण एवं भौतिक परोक्ष निरीक्षण प्रक्रियाओं के संयोजन में किया जाएगा।**

इस विधि की परीक्षा से संबन्धित महत्वपूर्ण अनुदेश तथा बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न संस्थान की वेबसाइट पर डाले गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें : http://iibf.org.in/exam related notice.asp

एक नया पाठ्यक्रम

संस्थान द्वारा "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016" पर विशेष बल के साथ बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान" विषय पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। पहली परीक्षा की तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। इस पाठ्यक्रम का ध्येय है बैंकिंग व्यावसायिको एवं कर्मचारियो के बीच उक्त संहिता की समझ विकसित करना, बैंकरों को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधियों

तथा किसी दिवाला समाधान प्रक्रिया में उनकी भूमिकाओं को निभाने के लिए बेहतर समझ रखने और वाणिज्यिक निर्णयों सहित उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के अत्यंत सावधानी और कर्मठता के साथ सभी हितधारकों के हित में निर्वहन के लिए उनकी सक्षमता को सुदृढ़ करने में समर्थ बनाना।

व्यावसायिक बैंकर अर्हता की शुरूआत

संस्थान एक ऐसी सुनहरी महत्वाकांक्षी अर्हता की शुरूआत करेगा जो शिक्षण एवं ज्ञान के क्षेत्र में परमोत्कर्ष का प्रतीक होगी। व्यावसायिक बैंकर के नाम से जानी जाने वाली यह अर्हता मध्यम प्रबंधन स्तर में लंबे समय से अनुभव किए जा रहे कौशल अंतर को भरने के लिए एक विशिष्ट अर्हता है और यह बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्रों में निर्णायक ज्ञान उपलब्ध कराएगी।

व्यावसायिक बैंकर की हैसियत पाने के इच्छुक किसी बैंकर को पाँच वर्षों का अनुभव रखना जरूरी होता है। संस्थान द्वारा इस अर्हता के विवरण थोड़े ही समय में घोषित किए जाएंगे।

संशोधित सतत व्यावसायिक विकास योजना

संस्थान ने 15 सितंबर, 2020 से विद्यमान सतत व्यावसायिक विकास (CPD) योजना को संशोधित कर दिया है। संस्थान द्वारा आरंभ किए गए नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है, सहभागिता किए गए व्याख्यानों, संगोष्ठियों, वेबिनारों के लिए प्रत्यय पत्रों (credits) को संशोधित कर दिया गया है। सतत व्यावसायिक विकास योजना में एक वर्ष के भीतर आवश्यक प्रत्यय पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के वैधीकरण की शर्त पर प्रमाणपत्र दिये जाएंगे। संशोधित योजना के अधीन परिणाम घोषित किए जाने की तिथि से प्रारम्भ होकर सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के तहत पंजीकरण की तिथि तक पिछले 9 महीनों में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स से प्राप्त की गई अर्हताएँ प्रत्यय पत्र की पात्र होंगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

चार्टर्ड बैंकर संस्थान के साथ सहयोग इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने 27 जून, 2017 को चार्टर्ड बैंकर संस्थान के साथ एक पारस्परिक मान्यता करार (MRA) हस्ताक्षरित किया था जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के प्रमाणित भारतीय सह-सदस्यों (CAIIB) के लिए उनकी अर्हताओं को चार्टर्ड बैंकर संस्थान द्वारा मान्यता दिलाने और चार्टर्ड बैंकर संस्थान की व्यावसायिकता, नैतिक नियमों तथा विनियमन मापांक (module) का अध्ययन कर के चार्टर्ड बैंकर बनने एवं चिंतनशील नियत कार्य (reflective assignment) सफलतापूर्वक पूरा करने में समर्थ बनाने का एक मार्ग खोला गया था।

इस पारस्परिक मान्यता करार (MRA) को आगे बढाते हुये इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के प्रमाणित कनिष्ठ सहयोगियों (JAIIB) के लिए भी जेएआईआईबी व्यावसायिक परिवर्तन मार्ग के माध्यम से चार्टर्ड बैंकर की हैसियत प्राप्त करने का एक मार्ग उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम को घोषित करने की तिथि चार्टर्ड बैंकर संस्थान के परामर्श से शीघ्र ही निर्धारित की जाएगी।

लाकडाउन अवधि के दौरान संस्थान की कार्यप्रणाली

यह सुनिश्चित करने के लिए कि महत्वपूर्ण गतिविधियां चलती रहें संस्थान के कार्य का बहुलांश कर्मचारियों द्वारा घर से कार्य करते हुये संपादित किया जा रहा है। संस्थान ने अपनी व्यवसाय निरंतरता योजनाएँ (BCPs) लागू कर रखी हैं, लगभग 30,000 प्रमाणपत्र डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किए गए और भेजे गए हैं, उसके सभी प्रकाशन आदि डिजिटल विधि से जारी किए गए हैं।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय

(SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय (UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के वि0श्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

कारबार संपर्कियों का अनिवार्य प्रमाणन

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और भुगतान बैंकों दोनों के कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स को एकमात्र प्रमाणन एजेंसी के रूप में अभिज्ञात किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। संस्थान ने कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए सीएसआर -ई- अभिशासन (CSR-e- Governance) के साथ गठजोड़ भी कर रखा है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुयँ

हमारे तिमाही जर्नल "बैंक क्वेस्ट" के आगामी अंकों के लिए विषय-वस्तुयँ हैं :

- अक्तूबर-दिसंबर 2020 - चैलेंजेस एंड अपारचुनिटीज़ ड्यू टू कोविड 19 फार क्रेडिट इंटर्मीडियरीज
- जनवरी - मार्च, 2021 - रोल आफ फाइनैन्सियल सेक्टर इन सपोर्टिंग आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव आफ गवर्नमेंट आफ इंडिया
- अप्रैल - जून, 2021 - इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैन्सिंग- न्यू नार्मल
- जुलाई - सितंबर, 2021 - इवोल्यूशन एंड फ्यूचर आफ मॉनिटरी एंड फिस्कल पालिसीज - सब थीम्स : रेग्यूलेतारी फ्रेमवर्क, मॉनिटरी फ्रेमवर्क, फिस्कल फ्रेमवर्क
- अक्तूबर - दिसंबर, 2021 - इन्टरनेशनल फाइनैन्सियल सेण्टर्स

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2020 से जनवरी, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2020 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

17

बाजार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

4.2
4.

3.8
3.6
3.4
3.2
3

अप्रैल, 2020, मई, 2020, जून, 2020, जुलाई, 2020, अगस्त, 2020, सितंबर, 2020
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूजलेटर सितम्बर, 2020

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

100
95
90
85
80 शृंखला 1
75 शृंखला 2
70 शृंखला 3
65 शृंखला 4
60

अप्रैल, 2020, मई, 2020, जून, 2020, जुलाई, 2020, अगस्त, 2020, सितम्बर, 2020
स्रोत : एफबीआईएल

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

7
6.8
6.6
6.4
6.2

6
5.8
5.6
5.4
5.2

मार्च, 2020, अप्रैल, 2020, मई, 2020, जून, 2020, जून, 2020, जुलाई, 2020, अगस्त, 2020
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, सितम्बर, 2020

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

41000.00
39000.00
37000.00
35000.00
33000.00
31000.00
29000.00
27000.00

अप्रैल, 2020, मई, 2020, जून, 2020, जुलाई, 2020, अगस्त, 2020, सितम्बर, 2020
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

समग्र जमा वृद्धि %

11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5

मार्च, 2020, अप्रैल, 2020, मई, 2020, जून, 2020, जुलाई, 2020, अगस्त, 2020
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम सितम्बर, 2020

डा. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डा. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा. जे. एन. मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in

.

आईआईबीएफ विजन अकतूबर, 2020